



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-19.01.2025

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह में आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 माह 06 दिवस का साधारण कारावास व 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-184/2006 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दशमी सोनकर पुत्र नन्हकू सोनकर निवासी 14/158 सोनिया थाना सिगरा जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-18.01.2025 को माननीय न्यायालय ACJM-II वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त दशमी सोनकर उपरोक्त को 10 माह 06 दिवस के साधारण कारावास से व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।